

25 02
2024

मन्त्रालय

राज्य सरकार
अर्थ

राज्य सरकार



पत्रावली फेरबदल अधिकारिता उभय पक्ष उपस्थित
वादी एवं प्रतिवादी दोनों न्यायालय में
उपस्थित। वादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित
लेकर आपसी सहमति से प्रतिवादीगण से
कुछ भूमि उपरने एक हिस्से की प्राप्त करने
पर सहमति व्यक्त की। उपस्थित प्रतिवादी
द्वारा वादीमा को आपसी सहमति से उपरने
भरण-पोषण हेतु एक हिस्से की जमीन
कब्जा सुपुर्द करने हेतु न्यायालय की
अज्ञात कराया गया। वादीमा द्वारा न्यायालय
में आगिक कार्यवाही गरी करने का अनुरोध
किया गया जो स्वीकार किया जाता है। उपरने
में आपसी सहमति राजीनामा देने से
बाद इसी स्तर पर स्वरीज किया जाता है।
पत्रावली फेरबदल शुमार लेकर नम्बर के
रुम है।



S.D.O.